फैक्स/विशेष संदेश वाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2017 **दिनांक: 9 मार्च, 2017**

सेवा में,

1. मत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार,
   कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
   सरदार पटेल भवन,
   नई दिल्ली।

3. निम्नलिखित राज्यों के मुख्य सचिव

(क) असम, दिसपुर; **(छ)** मध्य प्रदेश, भोपाल;
(ख) हिमाचल प्रदेश, शिमला; **(ज)** राजस्थान, जयपुर;
(ग) जम्मू-कश्मीर, जम्मू; **(झ)** सिक्किम, गंगटोक;
(घ) झारखण्ड, रांची; **(त्र)** तमिलनाडु, चेन्नई;
(ङ) कर्नाटक, बंगलुरु; **(ट)** पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
(च) केरल, त्रिवेन्द्रम; **(ठ)** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली

4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(क) असम, दिसपुर; **(छ)** मध्य प्रदेश, भोपाल;
(ख) हिमाचल प्रदेश, शिमला; **(ज)** राजस्थान, जयपुर;
(ग) जम्मू-कश्मीर, जम्मू; **(झ)** सिक्किम, गंगटोक;
(घ) झारखण्ड, रांची; **(त्र)** तमिलनाडु, चेन्नई;
(ङ) कर्नाटक, बंगलुरु; **(ट)** पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
(च) केरल, त्रिवेन्द्रम; **(ठ)** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली

विषय: उप निर्वाचन सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।

महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 9 मार्च, 2017 के प्रेस नोट (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध) जिसके द्वारा केरल तथा जम्मू–कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्तियों को भरने हेतु उप निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की गई है, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के दिशा-निर्देश के लिए आर्दश आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

2. आयोग ने संसद सदस्यीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी किए जाने पर विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि-

(क) संसद सदस्यीय (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी भाग में, जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं, में निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।

(ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो इसे जारी रखा जा सकता है।

(ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के संबंध में भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(घ) जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।

भवदीय,

ह./-

(आर.के. श्रीवास्तव)

वरिष्ठ प्रधान सचिव